न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1068 / 2024

अनवान : –

1. शिशुपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र मंगतू राम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मंगतुराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. रेणुबाला पुत्री मंगतुराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
3. मुकेश कुमार पुत्र मंजू देवी पुत्री मंगतुराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
4. मोहरसिंह पति मनीता पुत्री मंगतुराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. मनोज कुमार पुत्र मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
6. अनामिका पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
7. अनुसुईया पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
8. कामनी पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
9. रिया पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 134 / 134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5. 1340 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 135 / 134 के कुल खसरे 2 की कुल 9. 9400 है. भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 जो कि व्योवृद्ध व्यक्ति है वादी संख्या 2 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 2 जो की वादी संख्या 2 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ता 9 जो की वादी संख्या 2 की मृतक बहिने मंजूदेवी व मनीता के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी संख्या 2 की मृतक बहिन मनीता का पति है उपरोक्त भूमि में जो हक व हिस्सा है अपने भाई,मामा व **brother in law** के पक्ष में परित्याग कर चुके है। इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 की कुल 9.9400 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है। वादी संख्या 1 का नाम सहवन उक्त दोनो खातो में शिशपाल पुत्र रामचनद्र दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेजो में शिशुपाल दर्ज है। वादी सख्या 2 जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ढाणी लालखं सम्वत 2073–76 खाता स0 134/134 च 135/134, मृत्यु प्रमाण पत्र मंजु देवी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि व्योवृद्ध व्यक्ति है वादी संख्या 2 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 जो की वादी संख्या 2 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ता 9 जो की वादी संख्या 2 की मृतक बहिने मंजूदेवी व मनीता के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी संख्या 2 की मृतक बहिन मनीता का पति है उपरोक्त भूमि में जो हक व हिस्सा है अपने भाई,मामा व brother in law के पक्ष में परित्याग कर चुके है। इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 की कुल 9.9400 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है। वादी संख्या 1 का नाम सहवन उक्त दोनो खातो में शिशपाल पुत्र रामचनद्र दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेजो में शिशुपाल दर्ज है। वादी सख्ंया 2 जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 की कुल 9.9400 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 ता 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष [illegible] किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी लालखां तहसील [illegible] 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.13[illegible] है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 की कुल 9.9400 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 1 का नाम उक्त दोनो खातो में शिशपाल पुत्र रामचन्द्र की बजाय शिशुपाल पुत्र रामचन्द्र के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1068 / 2024

अनवान : –

1. शिशुपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र मंगतू राम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मंगतुराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. रेणुबाला पुत्री मंगतुराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
3. मुकेश कुमार पुत्र मंजू देवी पुत्री मंगतुराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
4. मोहरसिंह पति मनीता पुत्री मंगतुराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. मनोज कुमार पुत्र मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
6. अनामिका पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
7. अनुसुईया पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
8. कामनी पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
9. रिया पुत्री मनीता पुत्री मंगतुराम नाबालिंग जरिये पिता मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1068 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 134 / 134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 135 / 134 के कुल खसरे 2 की कुल 9.9400 है. भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 1 का नाम उक्त दोनो खातो में शिशपाल पुत्र रामचन्द्र की बजाय शिशुपाल पुत्र रामचन्द्र के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व [illegible] अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/25 [illegible] मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:11 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर